बिहार सरकार
समाहरणालय, जमुई
(जिला राजस्व प्रशाखा)

::–अल्पकालीन पुर्ननिविदा सूचना ::–

जमुई जिला के सभी 10 अंचलों की जमाबंदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान के पृष्ठों की स्कैनिंग हेतु एजेंसी एवं दर का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार का कार्य कम्प्यूटर से कराने हेतु मुहरबंद लिफाफा में पुर्ननिविदा आमंत्रित किया जाता है :–

1. जमाबंदी–2 की स्कैनिंग (दस अंचल से संबंधित सभी जमाबंदी पंजी) राजस्व ग्रामवार
2. सर्वे खतियान का स्कैनिंग राजस्व ग्रामवार
3. स्कैनिंग के पश्चात् तैयार सॉफ्ट प्रति फाईलो का ReNaming व ऑन लाईन प्रकाशन

इच्छुक निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सीलबंद /मुहरबंद, जो एक तीसरे बड़े लिफाफों में सीलबंद/मुहरबंद, कर (द्विलिफाफा पद्धति के अनुसार) निम्नलिखित शर्त्तो के साथ दिनांक–08.09.2016 को 1:00 बजे अपराह्न तक जिला राजस्व शाखा, जमुई में दे सकते है।

सभी निविदा दिनांक–08.09.2016 को 4:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी हेतु जिला राजस्व शाखा, जमुई में किसी भी कार्य दिवस को 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराह्न तक सम्पर्क किया जा सकता है। कोई भी निविदा निधारित तिथि के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।

तकनीकी निविदा में सफल संवेदकों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

<u>निविदा की शर्त्ते :–</u>

(क) तकनीकी शर्त्ते :–

1. निविदादाताओं को आयकर विभाग एवं वैट तथा सर्विस टैक्स का निबंधन होना एवं निबंधित कार्यालय बिहार राज्य में होना अनिवार्य है साथ ही अद्यतन कर शोधन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0–25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट मूल में जिला पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से संलग्न करना होगा।
3. निविदा दाता को बिहार के न्यूनतम तीन जिलों मे स्कैनिंग कार्य अथवा समकक्ष कार्य जैसे बी0पी0एल0, मनरेगा या निर्वाचन का अनुभव अनिवार्य होगा। अनुभव/कार्यदेश की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को निविदा के साथ उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है, से संबंधित शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।
5. निविदादाता को शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी Operating System Licensed/Legal authorized है।
6. स्कैनिंग Book Scanner with a speed of 10 ppm न्यूनतम के माध्यम से किया जाना है।
7. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त करने के समय राष्ट्रीयकृत बैंक का मो0–1,00,000/–(एक लाख) रूपये का Bank Guarantee संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. निविदादाता को Book Scanner with a minimum speed of 10 ppm का उपयोग कर स्कैनिंग का कार्य करना होगा एवं उक्त कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले Generator, UPS, Server/Computer, Client Computer की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

9. फर्म के पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति के साथ पिछले तीन वर्षो का (वर्ष–2012–13, 2013–14, 2014–15) Audit Report Balance Sheet संलग्न करना होगा। तीनो वर्षो का औसत Turn over न्यूनतम एक करोड़ रूपये का होना चाहिये।

10. निविदादाता के फर्म का दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कम से कम पाँच वर्षो से निबंधित होना अनिवार्य है।

11. निविदादाता को तकनीकि क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण यथा :–कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, स्टाफ की सं0, जेनरेटर स्कैनिंग की क्षमता एवं विवरणी आदि एक अलग पृष्ठ में अंकित करते हुए हस्ताक्षरित करके Technical Bid के साथ संलग्न करना होगा।

12. सभी कार्यों को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाप्त करना अनिवार्य होगा।

13. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किये जाने के स्थिति में प्रतिदिन 500/–(पाँच सौ) रूपये की कटौती विपत्र से की जायेगी। साथ ही अग्रधन की राशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी।

14. किसी भी परिस्थिति में Sub-Contracting स्वीकार नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर बिना कोई सूचना के एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा।

15. Book Scanner with a minimum speed of 10 ppm एवं अन्य किसी तकनीकी जानकारी हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

Scanner की निम्न विशिष्टतायें होनी आवश्यक हैः–

S. No.	Features	Requirement
1	2	3
1	Capture Technology	Liner CCD Camera
2	Scanning Resolution	Minimum 400 DPI
3	Scanning Range	Minimum A2 Size Paper
4	Output formats	JPEG, PDF, TIFF

16. स्कैनिंग का कार्य जिला मुख्यालय में सभी दस अंचलों यथा, जमुई/खैरा/सिकन्दरा/ई0 अलीगंज/बरहट/लक्ष्मीपुर/गिद्धौर/झाझा/सोनो एवं चकाई को उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

17. आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य का स्थल परिवर्त्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।

18. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्च पर रखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

19. राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यो के लिए समय–सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।

(ख) वित्तीय शर्त्त :–

1. स्कैनिंग का दर संबंधित निविदादाता द्वारा प्रति पृष्ठ के अधार पर दिया जायेगा। Unhealthy Rate को न्यूनतम होते हुए भी रद्द करने का अधिकार समिति को होगा। (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 1915/रा0, दिनांक 18.12.2014)

(ग) अन्य शर्तो

1. संदर्भित एवं समय सीमा की बाध्यता के मद्देनजर न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक निविदादाताओं के बीच आवंटित किया जा सकता है। निविदादाता के संयुक्त कार्य का आदेश देने का अधिकार जिला पदाधिकारी, जमुई के पास सुरक्षित रहेगा।
2. चयनित एजेंसी को पंजी–2, सर्वे खतियान आदि की स्कैनिंग कार्य अंचल अधिकारी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कर्मी की उपस्थिति में ही करना अनिवार्य होगा।
3. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
4. किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इसं कारण भुगतान में बिलम्ब होने पर कोई भी सूद की राशि देय नहीं होगा।
5. कार्यावंटन से पूर्व राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा का हस्ताक्षर करना होगा।
6. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. फर्म का चयन उनकी तकनीकि क्षमता, न्यूनतम दर एवं निगोशियेशन के आधार पर किया जायेगा।
8 स्कैनिंग किये गये अभिलेख का Meta Data तैयार कर सभी स्कैन डाटा को एक ही डाटा स्ट्रक्चर में संधारित करना होगा।
9. चयनित एजेंसी द्वारा किये गये कार्य का DIO, NIC व संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा जाँचोपरानत कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
10. कार्य की मात्रा को देखते हुए कार्य का बँटवारा एक से अधिक एजेंसी को किया जा सकेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट **www/http.jamui.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

22/8/16
प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, जमुई। | अपर समाहर्त्ता, जमुई। | समाहर्त्ता, जमुई।

ज्ञापांक 998. /रा0, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि :–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ की सात अतिरिक्त प्रतियों तथा इसकी सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे हिन्दी के प्रमुख दो दैनिक सामाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

22/8/16
प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, जमुई। | अपर समाहर्त्ता, जमुई। | समाहर्त्ता, जमुई।

(43)

ज्ञापांक 998. /रा0, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि :–प्रभारी जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कृपया इस संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक पहल करने का कष्ट करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, जमुई।	अपर समाहर्त्ता, जमुई।	समाहर्त्ता, जमुई।

ज्ञापांक 998. /रा0, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, जमुई।	अपर समाहर्त्ता, जमुई।	समाहर्त्ता, जमुई।